



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-12.09.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मण्डुवाडीह में रोड एक्सीडेन्ट व तोड़-फोड़ के मामले से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रुपये अर्थदण्ड ।

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-149/1999 धारा 279,427 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त राम बहादुर उर्फ राज बहादुर पुत्र राम दुलारे निवासी महेरेव थाना जलालपुर जनपद जौनपुर को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-11.09.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-II वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त रामबहादुर उर्फ राजबहादुर उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 279,427 भा0द0वि0 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।